

6/10
2023

वदुसाय उपप। इस प्राण पत्र से संबंधित
मूल अपील में निर्णय सुनाया जा फैसला हो
चुकी है। अतः अब इस प्राण पत्र में आगे
कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं
रहा है। अतः प्राण पत्र खरीज किया जाता
है। पत्रावली फैसला सुना होकर नया से
कम होकर मूल अपील के साथ सलम है।



राजवीर सिंह यादव
उपबंड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)